बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मदरसा, जकरिया सिराजुल मुसलमीन,कोरिया पट्टी पोस्ट- देवीपुर भाया गनपतगंज प्रखंड – राघोपुर जिला-सुपौल को (जो सरकारी मदरसा है) जाने वाली सड़क पर लोगों ने गैर कानूनी ढ़ंग से घर बना रखा है। मदरसा प्रबंध समिति एवं समाज के अन्य लोगों के आग्रह पर भी लोग अनियमित कब्जा से हटने को तैयार नहीं है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर एवं अंचलाधिकारी राघोपुर को भी आवेदन दिया गया है। परन्तु सड़क अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सकी है।

अत: इस संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./-दिलीप कुमार चौधरी
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-154/2018 – 690 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 21.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ गृह विभाग,बिहार/ अल्प संख्यक कल्याण विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-26.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 21.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

भूतपूर्व सैनिको के कल्याण हेतू बक्सर जिला में अंचल बक्सर के मौजा बक्सर नगर पालिका वार्ड नं.-6 थाना नं.- 331 खाता-260 खेसरा सं.- 941 (नौ सौ एकतालिस) रकवा 50 डी. में भूमि जिला सैनिक कार्यालय ECHS पोलिक्लिनिक एवं सी.एस.डी.की कैंटीन की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि का अनापति प्रमाण-पत्र जल संसाधन विभाग बिहार पटना को मुख्य अभियंता कार्यालय सिंचाई सृजन,जल संसाधन विभाग डिहरी द्वारा पत्रांक 680 दिनांक 28.03.17 को सरकार के संयुक्त स चव जल संसाधन विभाग बिहार पटना को भी भेजा गया है। अभी तक विभाग द्वारा अनापति प्रमाण नहीं दिया गया जिसके कारण बक्सर जिलान्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों एवं आश्रितों के सहायतार्थ पोली क्लिनिक एवं सी.एस.डी. कैंटीन की स्थापना नहीं हो रहा हैं।

अत: मैं इस संबंध में भूतपूर्व सैनिको को तुरन्तजल संसाधन द्वारा 50 डी. भूमिका अनापति पत्र प्रमाण पत्र दिलाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./-राधा चरण साह,
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-153/2018 – 689 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 21.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ गृह विभाग,बिहार/ जल संसाधन विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-26.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 21.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राजधानी पटना के महत्वपूर्ण स्थान बुद्ध मूर्ति, कदमकुआँ के पास अवस्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व अस्पताल, तिब्बी महाविद्यालय व अस्पताल एवं राजकीय नेत्रहीन विद्यालय के पास सड़क मार्गो के दोनों तरफ अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। 9 दिसंबर, 2016 को पटना के बुद्ध मूर्ति आज तक यथावत है। जिससे इलाज के लिए यहाँ आने वाले लोगों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: उक्त महत्वपूर्ण स्थान से अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./-कृष्ण कुमार सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-152/2018 – 691 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 21.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ गृह विभाग,बिहार/ स्वास्थ्य विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-26.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 21.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सरकार के लोक कल्याणकारी, एवं विकास योजनाओं की राशि जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार से विभागों या जिलों को प्राप्त होती हैं, को वित्त विभाग के निर्देश के विपरित निजी बैंकों में जमा करायी जाती है, जबकि राष्ट्रीय बैंक के मुकाबले निजी बैंकों का राज्य के विकास अथवा समाजिक सरोकार में योगदान शुन्य है।साथ ही वित्त विभागीय पत्रांक -5268,दिनांक-16.06. विभाग के अनुसार वैसे सभी बैंक खाते जो वित्त 15 के सहमति के बिना खोले गये हैं, में बिहार कोषागार संहिता के नियम -34 का उल्लघंन हुआ है।

रूप ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालितउदाहरण स्वमनरेगा,योजना लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान,प्रधान मंत्री आवास योजना(ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोतसाहन योजना,श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन,आधार इत्यादि की राशि ऐसे खास निजी बैंकों में जमा करायी जाती है, जो दूसरे निजी बैंकों से कम ब्याज दर सरकार को देती है। एक ओर तो राष्ट्रीय बैंक में सरकार राशि जमा नहीं करायी जाती है, वहीं दूसरी ओर कुछ खास निजी बैंक में सरकारी राशि जमा करा कर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचायी जा रही है। मसलन कोटेक महिन्द्रा बैंक, सीटी बैंक का ब्याज दर HDFC, ICICI, AXIS बैंक से ज्यादा है।

ज दर देने वाली निजी बैंक दा ब्याम से दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं ज्याअतएव मैं सदन के माध्य ता ह की मांग करव्य वक्तष्टय बैंक में सरकारी राशि जमा करने हेतु सरकार से सदन में स्पअथवा राष्ट्री○○ ।

ह0/- रीना देवी
स0प0वि0

ज्ञापांक0प्र0अ0प0वि: -150/2018- 679 (1) वि.प. पटना - दिनांक 21.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण माननीय मंत्री सहित अन्यमाननीय मुख्य/मंत्रीगण,बिहार सचिवमुख्य /,बिहारसंसदीय कार्य विभाग/,बिहार वित्त/विभाग,बिहार निवेदन / शाखाप्रश्न/शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थप्रेषित ।(क कार्रवाई हेतु एवं आवश्य)

2. माननीय सदस्य दिनांक -26/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह

(नवल किशोर सिंह) 21.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद

माननीय सभापति महोदय,

बिहार में दलहन फसल में मसूर दाल प्रमुख है । जो मौसम आधारित जोखिम भरा फसल है। मोकामा टाल क्षेत्र फतुहा से लखीसराय तक 1 लाख 6 हजार हेक्टेयर की 90 प्रतिशत जमीन पर एक मात्र फसल मसूर की खेती है। भारत सरकार कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ,अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालिय के पत्र सं0- 6-2/2016 दिनांक-21/11/2016 के द्वारा वर्ष 2017-18 में विपणन हेतु मसूर का समर्थन मूल्य 3950/- रूपया प्रति क्विंटल निर्धारित है तथा रबी फसल की खरीद हेतु एफ. सी. आई नैफेड ,एन.सी.सी.एफ ,सी. डब्ल्यू सी एवं एस. एफ सी. को नातिमत किया है। उपरोक्त एजेंसियों द्वारा मोकामा टाल क्षेत्र के किसानों की मसूल खरीद 2017-18 में नहीं की गयी ।2018-19 में मसूर की मच्छी पैदावार तैयार है लेकिन अभील तक खरीफ एजेंसी निष्क्रिय है।

अत: सरकार से सदन में मोकामा टाल क्षेत्र में मसूर खरीद हेतु कार्रवाई पर एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं ।

ह0/- नीरज कुमार
स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-123/2018 – 636 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ कृषि विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 19.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

नालन्दा जिला के हिलसा- नूरसराय निर्मित पथ में करीब 09(नौ) छोटी-छोटी पुल हैं जो अंग्रेज जमाने से निर्मित है, ये पुल जर्जर एवं बनवे होने के कारण कई बार भयानक रोड- हादशा हुआ है। पुल एवं रोड चौड़ीकरण नहीं होने के कारण गाँवों का नाला का निर्माण नहीं होता है। ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र और घनी आबादी वाला है। यही एक मात्र पथ है जो हिलसा अनुमण्डल से जिला मुख्यालय बिहार शरीफ को जोड़ता है। इस रोड के आस-पास के क्षेत्रों के लोगों को काफी असुविधा होता आ रहा है। किसी कारणवश पटना से बिहार शरीफ पथ जाम रहता है तो सभी बस,ट्रक एवं अन्य वाहन इसी पथ से पटना से नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ जाती है।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में हिलसा- नूरसराय पथ की चौड़ीकरण एवं इसमें पुल की चौड़ीकरण करनेके संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- हीरा प्रसाद बिन्द
स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-122/2018 – 635 (1)/ वि.प. पटना, दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/पथ निर्माण विभाग बिहार/ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 19.03.18
अ चिव
बिहार न परिषद्।

माननीय सभापति महोदय,

खगड़िया नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नं0- 14 एवं 15 में चित्रगुप्तनगर मोहल्ला के 'गौशाला पोखर के पूर्वी भिंड स्थित पक्की सड़क से कोशी कॉलेज,खगड़िया के उत्तरी चहारदिवारी तक' पथ की स्थिति अत्यन्त ही जर्जर है।

इस सड़क के दोनों किनारे घनी आबादी बसी हुई है। इसी पथ में डी0ए0भी0 विद्यालय है और इसी सड़क से होकर छात्र/ छात्राएं केन्द्रीय विद्यालय, खगड़िया जाते-आते हैं।

इस सड़क को लेकर खगड़िया गौशाला कमिटी तथा राज्य सरकार के बीच चले मुकदमें में न्यायालय तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम खगड़िया,उच्च न्यायालय,पटना तथा उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली से राज्य सरकार के अपील पर जीत हुई और गौशाला कमिटी की हार हुई ।

अत: उपर्युक्त सड़कों का शीघ्र निर्माण कराने हेतु जनहित में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं ।

ह0/- सोने लाल मेहता
स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-121/2018 – 634 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार/पथ निर्माण विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

(नवल किशोर सिंह) 19.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला परिषद् मुजफफरपुर के आंतरित स्त्रोत की आय से प्राप्त होने वाली राशि से दिनांक- 18/5/2013 को सम्पन्न जिला परिषद् की बैठक द्वारा जिला परिषद् के सभी सदस्यों के क्षेत्र में 30-30 चापाकल की अधिस्थापन का निर्णय लिया गया और 13-13 चापाकल की अधिस्थापना करायी भी गयी। शेष 17-17 चापाकल की अधिस्थापना हेतु जिला परिषद् की बैठक में कई बार निर्णय लिया गया परंतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा यह कहकर लंबित रख दिया जाता है कि विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा परंतु विभागीय मार्गदर्शन अबतक जिला परिषद् मुजफफरपुर को नहीं दिया जा सकता है।

अत: मैं सरकार से उपर्युक्त वर्णित विषय पर सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- दिनेश प्रसाद सिंह
स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-119/2018 – 632 (1)/ वि.प. पटना, दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/पंचायती राज विभाग बिहार/लोक स्वास्थ्य विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 19.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना का गाँधी मैदान शहर का हृदय-स्थल है। अपने विस्तृत आकार के कारण यह सामाजिक-राजनीतिक सभाओं रैलियों एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए यह सर्वाधिक उपर्युक्त स्थान माना जाता रहा है। इस दृष्टि से इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध है। किन्तु हाल के दिनों में इसके विस्तृत आकार को खंडित एवं संकीर्ण करने का प्रशासनिक प्रयास प्रारंभ हुआ है ,जिससे इसका मूल स्वरूप समाप्त हो जायेगा। प्रशासन की तरफ से गाँधी मैदान के भीतर चिल्ड्रेन पार्क, जिम खाना और फूडपार्क का निर्माण किया जा रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि किनारे- किनारे कुछ दुकानें भी खोली जायेगी । इससे गाँधी मैदार का संपूर्ण स्वरूप ध्वस्त हो जायेगा। वस्तुत: गाँधी मैदान का खुलापन ही उसकी खूबसूरती है। उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में निर्माण करा कर बिद्रुप नहीं किया जाय ।

अत: गाँधी मैदान के मूल प्राकृतिक स्वरूप को बरकरार रखते हुए उसके स्वाभाविक सौंदर्यीकरण के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं ।

ह0/- राम वचन राय
स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-120/2018- 633 (1)/ वि.प. पटना, दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 26/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

(नवल किशोर सिंह) 19.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।